राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.25(1)प्र.सु./सम/अनु–1/2017 जयपुर, दिनांक 15.12.2017

आदेश

यह देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा जिला कलक्टर गण के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बार–बार विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बैठकें आयोजित होने से जिला कलक्टर गण को अपने अन्य कार्य सुचारू रूप से करने में कठिनाई होती है ।

अतः यह आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, जिला कलक्टर गण के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित करने से पूर्व निम्नहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त करेंगे। विडियो कॉन्फ्रेन्स हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिये बैठक के आयोजन का कारण/आवश्यकता, अवधि एवं पूर्व में की गई विडियो कॉन्फ्रेन्स की तारीख एवं अवधि बताई जानी आवश्यक होगी । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विभागीय मंत्रीगण जिला कलक्टर गण के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित करना चाहें तो इसके लिये पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी ।

(अशोक जैन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार ।
2. उप सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner